दैनिक जागरण 07.05.16.

हरियाणा के किसान भाइयों से अपील

फसलों के अवशेष / फाने / ठूंठ जलाना कानूनन जुर्म है।

फसलों के अवशेष / फाने / ठूंठ जलाने से होने वाले नुकसान :–

- बचे हुए भूसे एवं दानों की हानि।
- जमीन के लिए जरुरी माइक्रोन्यूट्रिइन्टस नष्ट हो जाते हैं।
- भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी हो जाती है।
- फसलों के बचे हुए फाने / अवशेष / ठूंठ को जलाने से जमीन में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिससे उत्पादन घटता है।
- वायु में प्रदूषण फैलता है, जिससे लोगों की सेहत जैसे कि फेफड़ों और दिल की बीमारी का खतरा पैदा होता है।
- पड़ोस के खेतों में आग का खतरा बढ़ जाता है।

समाधान

खेत में फसलों के अवशेष / फाने / ठूंठों का स्ट्रा बेलर, रीपर बाईंडर एवं स्ट्रा रीपर द्वारा समूचित उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार मैल्चर / एम.बी. प्लों एवं रोटावेटर के प्रयोग से फसलों के अवशेष / फाने / ठूंठ को मिट्टी में मिलाकर कम्पोस्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

लाभ

- खेत में फाने को मिलाने से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है एवं कम खाद की आवश्यकता होती है।
- वातावरण शुद्ध रहता है।
- वायु प्रदूषण से बचाव।
- मशीनों के प्रयोग से समयानुसार बहाई का होना।
- स्ट्रा बेलर द्वारा बनाए गए गट्ठे बायोमास पावर जनरेशन प्लॉट को बेचकर आमदन में वृद्धि।

वायु प्रदूषण अधिनियम–2003 के तहत फसलों के बचे हुए फाने / अवशेष / ठूंठ को जलाना हरियाणा राज्य में प्रतिबंधित है एवं दण्डनीय अपराध है।

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ हरियाणा-स्वच्छ भारत

फसलों के बचे हुए फाने / अवशेष / ठूंठ को खेत में नहीं जलाना है। प्रदूषण को मिटाना है।